हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संगीता वगै. बनाम देवीसिंह वगै. 212 धा.का.आधि.

2/20 पीठासीन अधिकारी महादय, भ्रमण 'अवकाश पर हैं। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25-8-20 को पेश हो।

3/20 पीठासीन अधिकारी महादय, भ्रमण 'अवकाश पर हैं। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30-9-20 को पेश हो।

30/9/20 अभिभाषक संघ [illegible] का बहिष्कार रखा गया है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6-11-20 को पेश हो।

6/11/20 न्यायालय कार्यक्रम उप., अप्रार्थी सं. 2, 3, 5 की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 14.12.20 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

14/12/20 पीठासीन अधिकारी महादय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/2/21 को पेश हो।

3/2/21 पत्रावली प्रस्तुत हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की तरफ से जवाब प्रा. पत्र पेश है, अप्रार्थी सं. 5 की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 2-3-21 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (भरतपुर)

2.2.21 पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र में आस्थायी निषेधाज्ञा दीर्घावधि से [illegible] अप्रार्थी अधिवक्ता ने आपत्ति [illegible] तहसीलदार ने स्वयं [illegible] है तथा इसलिए उनकी स्वतः संज्ञान से है, [illegible] है तथा यह भी कथन किया कि तलबी की जवाबदेही प्रार्थी की स्वयं की भी है। मेरे हितों पर कुठाराघात हो रहा है इसलिए वापस हुनी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:41 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | 212<br>रंजीता वगै. बनाम देवीसिंह वगै.    रा.का.अधि.<br><br>स्थापना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होते हुए ऐतराज किया कि तहसीलदार की तलबी के बिना अं. बहस नहीं कर सकता। इसलिए अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावलि वास्ते निर्णय दिनांक 15.3.24 को प्रस्तुत हो।   (हस्ताक्षर) 02.3.24<br><br>पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के स्थापना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.7.2015 को स्थापना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर इस प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा (के) का आदेश जारी किया गया था कि अप्रार्थीगण देवीसिंह वगै. को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05/9/2019 तक खा.ख.नं. 153/0.44, 396/0.52, 41/0.41, 494/0.[illegible], 495/0.61, 96/0.66, 97/0.63, 171/0.52, 154/0.60, 155/0.55, 496/0.94, 156/0.83, 104/1.26, 261/0.60, 262/0.70 वाके ग्राम रानोता, तहसील नगर व आगामी तिथि तक विवादित भूमि में से प्रार्थी के पैतृक हिस्से तक की भूमि रहन, बय, दान आदि से अन्तरण नहीं करें। आगामी तिथि तक प्रार्थी पैतृक सम्पत्ति संबंधित सबूत पेश करें। पत्रावलि आगामी तिथि 5/9/2019 को रखी गई।<br><br>अप्रार्थीगण 1 लगा. 4 की ओर से जवाब प्रा.प. प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं.-5 श्रीमान सब रजिस्ट्रार नगर है।<br><br>पत्रावलि पर बहस के संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता ने यह ऐतराज किया कि अप्रार्थी सं.-5 की तलबी नहीं हुई है इसलिए वह बहस करना नहीं चाहते तथा अप्रार्थी सं.-5 को तलबी उपरान्त आगामी पेशी (हस्ताक्षर) |

Signature Not Verified

Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:41 IST
Reason: SelfAttested

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| संतोला वगै० बनाम देवीसिंह वगै. 212 रा.का.आदि. | |

पर बहस कर सकूंगा। इस पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता का बहस में कथन रहा कि सब रजिस्ट्रार जो तहसीलदार भी है द्वारा अन्य पक्षकारों को तलबी करवायी गई है इसलिए प्रकरण उनके संज्ञान में आ चुका है तथा इस प्रा.प. के निस्तारण से सब रजिस्ट्रार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण को प्राप्त एकतरफा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की तलबी समय पर करवाने की जिम्मेदारी स्वयं प्रार्थी की भी जो उनके द्वारा नहीं करवायी गई उनके स्तर की कमी है इसलिए बहस सुनी जावे क्योंकि मेरे हितों पर दुष्प्रभाव हो रहा है। फलत: बहस अप्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई।

पत्रावली का समग्र अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया इसके उपरान्त यह पाते है कि

- प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित समस्त आ.ख.न. को पैतृक बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26.07.2019 में यह अपेक्षित करते कि प्रार्थी आगामी तिथि तक पैतृक सम्पत्ति संबंधी सबूत पेश करें। जो प्रार्थी द्वारा इतनी दीर्घावधि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित किया है कि आ.ख.न. 153/0.44, 171/0.52, 154/0.60, 155/0.55, 496/0.94 156/0.83, ~~104/1.26~~ 104/1.26 अप्रार्थी देवीसिंह की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा आराजी है इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खरीदशुदा आराजी के विरूद्ध प्रार्थी को खातेदारी अधिकारी घोषित करवाने का प्रथम दृष्टया वाद स्पष्ट नहीं होता है

- प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त भी इतनी दीर्घावधि से आराजी के पैतृक होने का कोई साक्ष्य सबूत अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा वाद में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | 212<br>संजीला कौ. बनाम देवीसिंह वगै. रा.का.अधि. |
| | ख.न. मे ~~है~~ अनेक आ.ख.न. खरीदशुदा आराजी होने का जवाब देते हुए साक्ष्य मे पंजीयन बैयनामा की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है तथा जमाबंदी मे भी इन क्रयशुदा आ.ख.न. के लिए अप्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदार के रूप में अंकन है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नहीं होना है।<br>अस्थाई निषेधाज्ञा के जारी रहने तथवा इसे संपुष्ट किये जाने से अप्रार्थीगण जो क्रयशुदा आ.ख.न. का रिकॉर्ड खातेदार है के अधिकारों पर दुष्प्रभाव होना स्पष्ट है, जिससे उनके पक्ष मे अपूरणीय क्षति सिद्ध है।<br>इस प्रकार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पूर्व मे दिनांक 26.07.2019 को जारी की गई अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया न्यायोचित है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाकर पूर्व मे जारी आदेश दिनांक 26.07.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।<br>15.3.24<br>(सुरेन्द्र प्रसाद) |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:41 IST
Reason: SelfAttested